



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. /Type Approval No.1163**

**मद/FOR ITEM: आर एफ यूनिट रिवर्टेड ट्रे असेम्ब्ली/**

**RF Unit & Riveted Tray Assy.**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लाबोरेटरी, हैदराबाद द्वारा विकसित एवं मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आई.ई. नाचाराम, हैदराबाद - 500 076 द्वारा उत्पादित "आर एफ यूनिट रिवर्टेड ट्रे असेम्ब्ली", पार्ट सं.1720 009 004 23 कंट्रोल पेनल के मास्टर ड्राइंग इंडेक्स काइट (कामोव) 1720 009 004 23 के अनुसार काइट परियोजना के वायुवाहित इएसएम सिस्टम के कामोव हेलिकॉप्टर में काम आता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए (हैदराबाद) के समन्वय से क्वालिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर दस्तावेज संदर्भ सं.बीईएल/केसीसीपी/2001/01 दिनांक मार्च 2001 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कम्प्लायंस स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "RF Unit - EAGLE & Riveted Tray Assy" bearing the Part No. 1720 009 004 23 (RF Unit -EAGLE ) & 1720 010 227 40 (Riveted Tray Assy) developed by M/s Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad and manufactured by M/s. Bharath Electronics Ltd., I.E. Nacharam Hyderabad - 500 076, is hereby approved for production as per Master Drawing Index of RF Unit Eagle - 1720 009 004 23, Issue:02 dt 19.11.2003 & Master Drawing Index of Riveted Tray Assy-1720 010 227 40, Issue :01 dt 06.02.2002 for use in /on an Airborne ESM system in project EAGLE on Dornier Aircraft. It has been tested as per governing specification / test schedule No Doc ref: BEL :NAVY : TAT: 2001 :001 Issue:01,dt: Dec'2001 in co-ordination with RCMA (Hyderabad). It has met the requirements as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*

पृष्ठ/Page 01 of 02

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी सुपरसीड होती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

*The Provisional Clearances accorded for this product are here by superceded consequent to issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2010 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(हैदराबाद), हैदराबाद से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2010 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), Hyderabad for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1163

दिनांक/Date : 10 जनवरी 2006

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

जि.के.शर्मा/10/1/06  
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

22/11/05 2/11/05